भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2954
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: राजस्थान में जैविक उर्वरकों का उपयोग

†2954. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) क्या कृषि भूमि में जैविक कार्बन की उपस्थिति की जांच नियमित रूप से की जाती है और यदि हां, तो समय का अंतराल का चित्रण क्या है;

(ख) गत दो दशकों के दौरान कृषि भूमि में जैविक कार्बन की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार भूमि में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत सॉइल हेल्थ कार्ड (एसएचसी) के माध्यम से कृषि भूमि में आर्गनिक कार्बन की उपस्थिति की नियमित रूप से जाँच की जाती है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सभी भूमि जोतों के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने हेतु तीन वर्ष में एक बार एसएचसी तैयार करते हैं। अब तक, **24.84** करोड़ एसएचसी तैयार किए जा चुके हैं।

(ख) **:** मिट्टी में आर्गनिक कार्बन में कमी के प्रमुख कारण **(i)** रासायनिक उर्वरक का अविवेकपूर्ण या अत्यधिक उपयोग, बार-बार टिलेज/जुताई, ठूंठ जलाना, अतिचारण और क्षरण **(ii)** बारहमासी वनस्पतियों को मोनोकल्चर फसल और चारागाहों से प्रतिस्थापित करना और (**iii)** मिट्टी के भौतिक-रासायनिक गुण जैसे मिट्टी का घनत्व, उच्च बजरी सामग्री, मिट्टी क्षरण और मिट्टी में पानी की कम मात्रा /खराब नमी संरक्षण उपाय हैं।

(ग): इस समस्या के समाधान के लिए, सरकार किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना लागू कर रही है। एसएचसी मिट्टी में आर्गनिक कार्बन सहित पीएच, विद्युत चालकता, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सूक्ष्म पोषक तत्वों (जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज और बोरोन) की स्थिति की जानकारी देता है और इसमें किसानों को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) पर सलाह दी जाती है। आईएनएम मृदा आर्गनिक कार्बन और मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए जैविक खादों और जैव-उर्वरकों के साथ-साथ सेकेन्डरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग का मार्गदर्शन करता है।

सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से मिट्टी के आर्गनिक कार्बन में सुधार के लिए जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर के तहत किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ फार्म आर्गनिक इनपुट मुख्य रूप से जैव-उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) भी सॉइल आर्गनिक कांटेंट, मिट्टी की संरचना, पोषण में सुधार करने, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढाने के लिए बायोमास मल्चिंग, बहु-फसल प्रणाली, खेत पर बने प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट के उपयोग जैसी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए भी लागू किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने वर्षा जल के बहाव के कारण मृदा क्षरण को रोकने के लिए कई स्थान-विशिष्ट जैव-इंजीनियरिंग उपाय, रेत के टीलों के स्थिरीकरण और वायु क्षरण को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट प्रौद्योगिकी तथा समस्याग्रस्त मिट्टी के लिए सुधार प्रौद्योगिकी जो मृदा आर्गनिक कार्बन को बढ़ाती है, भी विकसित की है।

****